

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(01)डीएलबी / 2022 / 19530

दिनांक: 1-11-2022

आदेश

श्री लोकेश मीणा, अधिवक्ता (रजि. नं. आर/2072/2019) निवासी- जयपुर को नगर निगम जयपुर ग्रेटर के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।


इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम जयपुर ग्रेटर से देय होगा।


(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(01)डीएलबी / 2022 / 19531-19539 दिनांक: 1-11-2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
5. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर।
6. श्री लोकेश मीणा, अधिवक्ता मार्फत नगर निगम जयपुर ग्रेटर।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी